



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 श्रावण, 1946 (श०)

संख्या - 528 राँची, बुधवार,

14 अगस्त, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

26 जुलाई, 2024

संख्या-5/आरोप-1-99/2019-26464 (HRMS)--श्री मनोज कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-250/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बारियातु, लातेहार के विरुद्ध उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-1101 दिनांक 12.09.2022 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध दिनांक 17.08.2016 को लातेहार में योगदान देने के पश्चात् लम्बे समय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

1. उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-6766, दिनांक 28.10.2022 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गई। उक्त के अनुपालन में श्री कुमार के पत्र, दिनांक 19.10.2023 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री कुमार द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया कि ये दिनांक 17.08.2016 को विभागीय अधिसूचना के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, बारियातु (लातेहार) के पद पर योगदान किये थे। विभागीय अधिसूचना सं०-1207 दिनांक 09.03.2017 एवं उपायुक्त, लातेहार के ज्ञापक-683 दिनांक 09.11.2016 के आलोक में ज्ञापक-67 दिनांक 03.04.2017 को इनके द्वारा प्रभार सौंपकर कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची में योगदान किया गया ।

2. श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री कुमार द्वारा दिनांक 17.08.2016 को प्रखंड विकास पदाधिकारी, बारियातु के पद पर योगदान देने के उपरांत दिनांक 03.04.2017 को उक्त पद का प्रभार प्रतिस्थानी को देकर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग में योगदान दिया गया। उक्त अवधि दिनांक 17.08.2016 से 03.04.2017 तक ये अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे हैं एवं किस कारण से ये उक्त अवधि में अनुपस्थिति रहे हैं, के संबंध में संबंध में कुछ नहीं कहा गया है।

3. समीक्षोपरांत, श्री कुमार के विरुद्ध अनधिकृत अनुपस्थिति संबंधित प्रमाणित आरोपों के लिए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-1239, दिनांक 20.02.2024 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई। श्री कुमार के पत्रांक-283, दिनांक 05.06.2024 द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 में प्रतिनियुक्त रहने के कारण समय पर द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित नहीं किये जाने का उल्लेख करते हुए द्वितीय कारण पृच्छा उपलब्ध कराने हेतु अगली तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया गया।

4. उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-4412, दिनांक 04.07.2024 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु अंतिम रूप से 10 दिनों का समय प्रदान की गई है, परन्तु निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् भी श्री कुमार द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित नहीं किया गया।

अतः श्री मनोज कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-250/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बारियातु, लातेहार के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री मनोज कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MANOJ KUMAR JHK/JAS/160	श्री मनोज कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-250/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बारियातु, लातेहार के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्दु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:20060400057
